

**कार्यालय,****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।****संख्या:- प्राधिप/परिषद संशो० सम्बद्धता/2022/10770****लखनऊ: दिनांक: 15/12/2022****:कार्यालय ज्ञापः:**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा सारणी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/11/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थानों को सम्बद्धता पत्र तत्समय पी०सी०आई० द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रेषित कर दिया गया था।

पी०सी०आई० के पत्र सन्दर्भ संख्या 14-443/2022-PCIA(Approval Process 2022-2023)/14705-09 दिनांक 03 नवंबर 2022 में दिए गए निर्देशों क्रम में प्रशंगत संस्थानों से पूर्व में इगित कमियों के निराकरण का विवरण एस०आई०एफ० पर अपलोड करते हुए निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र दाखिल करने के दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इन अभिलेखों के साथ-साथ शपथ पत्र लेकर बहाल की गई प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में संस्था के निरीक्षण के समय एस०आई०एफ० का स्थापन कराना होगा।

**संस्था का कोड एवं नाम : 2086-R K INSTITUTE OF PHARMACY**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रदत्त संशोधित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरे लागू होंगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थानों का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, सज्ज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किये जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज्ज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

एफ०आर०- प्राशिक्ष/परिषद संघो० सम्बद्धता/2022/10771-11058

15/12/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक R K INSTITUTE OF PHARMACY



(एफ०आर० खान)



**कार्यालय:****सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद****उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या - प्राशिपापरिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

**कार्यालय ज्ञाप:**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (कार्यमोची काउन्सिल ऑफ इन्फ्रिण, नई दिल्ली) द्वारा शैक्षिक वर्ष 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोठ एवं नाम :-**

क्र०सं०

पाठ्यक्रम का नाम

ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० परिषद द्वारा वर्ष 2021- द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश प्रवेश क्षमता क्षमता

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यमोची पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यमोची पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जीस निर्धारण समिति द्वारा प्रति वर्ष 2021-22 हेतु जीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो जीस की नवीनतम डरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उ०य समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं विदेशीय प्राविधिक शिक्षा उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद: उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

✓

क्रिसीमा इन कार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नोट दापर किया जाता है तथा दापर नोट के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी नकल की प्रतियुक्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतियुक्ति संबंधित संस्था की करनी होगी।

- ✓ क्रिसीमा इन कार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रदेश परीक्षा हेतु कार्यान्वित्त प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उच्च प्रदेश की (कार्यान्वित्त के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रदेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु निर्गत नवीनतम अंशक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त दातवर्ण उपलब्ध करने के साथ रैगिंग रोकने के संकेत में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0परिषद के जानकारीनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0स0- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतियुक्ति:-

प्रधानाचार्य/निदेशक,



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद/सम्बद्धता/2020/1071

प्रकाशक दिनांक: 15-9-2020

**-कार्यालय धाम-**

अंकित भारतीय लोकगीतों शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कार्यालय लोक इतिहास, नई दिल्ली द्वारा सैकिक सत्र 2020-21 हेतु विदेशीय राष्ट्रीय लोकगीतों शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ की अध्यक्षता में संविधान कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सचिवि द्वारा सत्र 2020-21 हेतु कार्यवाही नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता सुद्धि संबंधित अन्य गरी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त में अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्र-3 में निम्नोका इन कार्यवाही पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र विचार-विमर्श कर निम्नोका निर्णय लिया गया -

- गिजी क्षेत्र में स्थापित निम्नोका इन कार्यवाही पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा उन्हें गृहगत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सचिवि द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 20 20 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता जारी की जाये पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं. संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2008	आर्य समाज इन्स्टीट्यूट ऑफ़ ज्यूरिडिकल, पाठ क्र-174, 175, बिल्डिंग- देवगिर, लखनऊ-बनारसपुर, कोशी।	विज्ञान इन कार्यालय	80

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एम्प्लॉयमेंट/पीठसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था जल प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनिर्णयवाली 2020, नोमिटर विनिर्णयवाली-2018 तथा अन्य निर्मित विधानों का अंतर्गत का अनुपालन करेगी तथा इसके निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों में प्रवेश क्षमता हेतु ₹ 20,150.00/- प्रवेश, दो वर्षों में कार्यवाही पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45,000.00/- निर्धारित एवं एक वर्ष की कार्यवाही पाठ्यक्रमों (दो वर्षों में कार्यवाही पाठ्यक्रम के अंतर्गत) हेतु ₹ 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की उपरोक्त मात्रा/मात्र



से प्राप्त किया जाएगा। प्राप्ति का अतिरिक्त अनु/प्राप्तियों से मुक्त के समर्थ में राज्य-राज्य पर समान द्वारा निर्देश किये जाने वाले समझौते प्रभावी होने और अनुसार अर्थात् किया जाने आवश्यक होगा। नीचे निर्धारण योग्यता प्राप्त कर 2020-21 से पूर्व का अनुसूचित क्षेत्र जहां है, जो नीचे की सीमाओं में आने वाली है।

- ✓ सभा को (समाप्त) प्राथमिक शिक्षा अधिनियम तथा पर अधिनियम, सभाओं को सम्बद्ध किया जाते/निर्दिष्ट/अर्थात्-2000 की शर्तों को अनुसारित करना होगा।
- ✓ सभा में संयुक्त प्रदेश प्रथम प्रथम द्वारा अर्थात् करने को ही प्रदेश दिया जाएगा। शीघ्र ही शिक्षा का प्राय की स्थिति में भारत प्रदेश राज्य के निर्देशानुसार ही प्रदेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ सभा को राज्य-राज्य पर निर्देश समझौते के अनुसार निर्देश एवं सम्बद्ध मुक्त जहां करना होगा।
- ✓ सभा को एम्प्लॉयमेंट/पैरामीटरों के आधारे पर से अनुसूचित क्षेत्र शिक्षा जहां आवश्यक होगा।
- ✓ सभा जहां प्रदेश समान द्वारा कराए गये विधि/निर्देश/अधिनियम/समाप्त/निर्देश एवं निर्देश, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रदेश प्रथम प्रथम द्वारा तथा अधिनियम शिक्षा अधिनियम द्वारा कराए गये निर्देश, अधिनियम, अर्थात्, निर्देशों का पालन करने के लिए कार्य होगी।
- ✓ विधेयक इन शर्तों पर आधारित की सभाएं यदि वे ही/अर्थात्, यदि दिल्ली के अनुसूचित क्षेत्र करने में आवश्यक होती है तो इन शर्तों में सभा पर आधारित सभा का होगा और विधि का भी किसी की कार्यवाही के लिए सभा सम आवश्यक होगी। अधिनियम शिक्षा अधिनियम, संयुक्त प्रदेश प्रथम प्रथम, अधिनियम शिक्षा निर्देशानुसार एवं अधिनियम शिक्षा निर्देशानुसार प्रदेश समान को कोई काद प्राप्त किया जाता है तथा प्राप्त कर के सभा में न, आवश्यक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया समीक्षा प्रदेश निर्देश किया जाता है जो सभा प्रतिक्रिया संबंधित सभा को करने होगी।
- ✓ विधेयक इन शर्तों पर आधारित अधिनियम करने वाली सभाओं को संयुक्त प्रदेश प्रथम प्रथम द्वारा समान द्वारा अर्थात् कर के लिए अधिनियम प्रदेश प्रथम से अनुसूचित क्षेत्र करने को ही/अर्थात् ही अनुसूचित क्षेत्र कर अधिनियम समान का समर्थ प्राप्त होगा अथवा कोई प्रदेश की (अधिनियम के समर्थ के अथवा सभा कर पर ही/अर्थात्) अनुसूचित नहीं समान की जाएगी।
- ✓ जहां प्रदेश समान द्वारा प्रदेश से निर्देश अधिनियम समान निर्देशों का अनुसारित करने आवश्यक होगा।
- ✓ सभा को अपने वेबसाइट पर सभा की समान सूचना जैसे सभा की प्रतिनिधिक प्रतिनिधि, राज्य, राज्य-राज्य पर निर्देश, अन्य शिक्षा जहां सभा मुक्त, प्राथमिक मुक्त अर्थात् का निर्देश परमाणु करण होगा।
- ✓ सभा की शिक्षा-अधिनियम से अनुसूचित समान परमाणु करने के साथ प्रति, करने के सम्बन्ध में समान आवश्यक सभा प्रतिनिधि करनी होगी।
- ✓ सभा पर प्रतिनिधि हो के कि सभा में अधिनियम/अधिनियम परमाणु को प्राप्त करने से निर्देशानुसार सभियों के समान परमाणु कराए गये अधिनियम, प्रति-कर, समान द्वारा कि सभा द्वारा निर्देश अन्य परमाणु के समान में प्रदेश किया जाता है और अधिनियम को इसकी कार्यवाही होगी है कि सभा अधिनियम का प्रदेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समान सभा की सम्बद्धता सम्बद्ध किये जाने की अनुसूचित की जाएगी।
- ✓ समझौते शर्तों का अनुसारित न किये जाने अथवा शर्तों का पालन किये जाने की स्थिति में निर्देशानुसार अनुसूचित/अधिनियम कार्यवाही की जाएगी।

/

(स) आचार्य सिंह  
प्रति

पुस्तक- अधिनियम/अधिनियम सम्बद्धता/2020/ 1872-3181 पत्र दिनांक: 18-09-2020

प्रीति-प्रधानमंत्री/निर्देश, अर्थात् इन्टरनेट और फोन/माता 90-174, 175, निर्देश-  
वेबसाइट, राज्य- अर्थात् करनी।

  
 (स) आचार्य सिंह  
 प्रति